29/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जूनाड़ा में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानदेही आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की निशानदेही मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्जनम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, लुणाड़ा)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 513 दिनांकः– 29/05/2018

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री बगताराम पुत्र हड्डुमानराम वगैरा 4, जातियान्–ब्राहमण, निवासीयान्–चैनाणियों की ढाणी, हरखाली, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. श्री मेघाराम पुत्र जीयाराम वगैरा 10, निवासीयान्–चैनाणियों की ढाणी, हरखाली, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :– 49/18

आदेश

मौजा लुणाड़ा पटवार क्षैत्र लुणाड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बाटाडू तहसील बायतु व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1550/779 रकबा 39.11 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के चारो तरफ सेढा पड़ौसियों को नोटिस देने के बाद, दोनो पक्षों की उपस्थिति में, प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 514-18 दिनांकः– 29/05/2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, लुणाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बगताराम पुत्र हड्डुमानराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री मेघाराम पुत्र जीयाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु